पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम कमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कार्यवाही विवरण

विद्यापरिषद् की 09 वीं (आपात) बैठक

दिनांक 23 / 09 / 2012

दिन – रविवार

स्थान :– मुख्यालय बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की 9 वीं (आपात) बैठक का कार्यवाही विवरण

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, बिलासपुर की विद्या परिषद् की 09 वी (आपात) बैठक कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 23/09/2012 को अपरान्ह 12:00 बजे विश्वविद्यालय मुख्यालय के कक्ष क्रमांक 10 में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही –

1. **डॉ. ए. आर. चद्रांकर** – अध्यक्ष
   कुलपति
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
   छत्तीसगढ़, बिलासपुर

2. **डॉ. मनीष श्रीवास्तव** – सदस्य
   सह–प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अंग्रेजी विभाग)
   गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय
   बिलासपुर (छ.ग.)
   (कुलपति द्वारा अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत)

3. **प्रो. एस के जाधव** – सदस्य
   विभागाध्यक्ष (बायोटेक्नालाजी)
   पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)
   (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत)

4. **डॉ. अमित खासकलम** – सदस्य
   व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष (सूचना प्रौद्योगिकी)
   गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
   (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत)

5. **डॉ. बी.पी. साहू** – सचिव
   कुलसचिव
   पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
   छत्तीसगढ, बिलासपुर

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके –

1. **डॉ. (श्रीमती) विभा जोशी** – सदस्य
   निदेशक
   स्कूल ऑफ एजुकेशन
   इंदिरा गांधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली
   (कुलपति इग्नू द्वारा मनोनीत)

2. **डॉ. उमेश कुमार श्रीवास्तव** – सदस्य
   विभागाध्यक्ष (गणित विभाग)
   शास. स्वशासी कन्या महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)
   (कुलपति द्वारा अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत)

3. **डॉ. टी. एल वर्मा** – सदस्य
   प्राध्यापक
   शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)
   (विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा मनोनीत)

4. **डॉ सुरेश शुक्ला** – सदस्य
   इतिहास विभाग
   शास. स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महा. बिलासपुर (छ.ग.)
   (कुलपति द्वारा अध्ययन मंडल के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत)

5. **श्री रमेश नैयर** – सदस्य
   संचालक
   छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
   रायपुर (छ.ग.)

6. **आयुक्त**
   उच्च शिक्षा संचालनालय
   रायपुर (छ.ग.)

बैठक प्रारंभ होने पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुलसचिव के द्वारा निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये –

प्रस्ताव क्रं. 1 विद्या परिषद् की आठवीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

निर्णय – विद्या परिषद् के द्वारा आठवीं बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु क्रमांक 10 में पालन प्रतिवेदन में हुई त्रुटि को सुधारा गया तथा शेष कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव क्रं. 2 पीजीडीसीए एवम् डीसीए पाठयक्रम के छात्रों के सत्रीय कार्य उत्तरपुस्तिका प्राप्त न होने संबंधी प्रकरण पर विचार।

निर्णय :– विद्या परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के अध्यादेशों में उत्तरपुस्तिका गुम होने की स्थिति में किये जाने वाले कार्यवाही का कोई प्रावधान नहीं है। इस स्थिति में पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के अध्यादेश क्रमांक 05 (Conduct of Examinations) एवं 06 (Examinations General) को अंगीकृत कर परीक्षा परिणाम समिति के माध्यम से कार्यवाही की जावें।

प्रस्ताव क्रं. 3 विगत वर्षो के त्रुटिपूर्ण एवं लंबित परीक्षा परिणामों के घोषित होने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय :– विद्या परिषद् द्वारा सूचना ग्रहण की गई। परिषद् ने यह भी सूचना ग्रहण की कि अगस्त–सितम्बर, 2011 में आयोजित सत्रांत परीक्षाओं के परिणाम विलंब से (लगभग 12 महीने) घोषित हुए। विश्वविद्यालय द्वारा जारी अंकसूचीयों में से 70 प्रतिशत त्रुटिपूर्ण बनी थी जिन्हें सुधार कर जारी किया जा रहा है, अभी भी लगभग 9000 अंकसूची बननी शेष है।

प्रस्ताव क्रं. 4 एक वर्षीय पाठयक्रम पीजीडीसीए, डीसीए एवम् बी.लिब.एंड आईएससी. के अधिकतम अवधि में वृद्वि करने सहित संबंधित पाठयक्रमों के अध्यादेशों में संशोधन पर विचार।

निर्णय :– विद्या परिषद् द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुये निर्णय लिया गया कि छात्रों को अधिकतम तीन अवसर प्रदान किये जावें।

प्रस्ताव क्रं. 5 वर्ष 2006–07 एवम् 2008–09 की परीक्षा में लंबित परिणामों के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णयः– विद्या परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि चूंकि सत्र 2006–2007 एवम् 2008–2009 में इंदिरा गांधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के परीक्षा योजना के अंतर्गत परीक्षायें आयोजित हुई थी, जो कि बाद में प्रदेश में संचालित एकीकृत पाठ्यक्रम की परीक्षा योजना अनुसार परीक्षा आयोजित हुई, अतः ऐसे छात्र जिन्होने ATKT की परीक्षा दी है, उनके परिणाम परीक्षा वर्ष में लागू परीक्षा योजना के अनुसार घोषित किए जावें।

प्रस्ताव क्रं. 6 परीक्षार्थियों के उत्तरपुस्तिका गुम/चोरी/नष्ट होने की स्थिति में संबंधित विषय/पाठयक्रम में औसत अंक दिये जाने संबधी पर विचार।

निर्णय चूंकि विश्वविद्यालय का शैशवकाल था तथा मान्य व्यवस्थायें स्थापित नहीं थी, अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये परिषद् ने विचार कर यह निर्णय लिया कि जिन छात्रों के 50 प्रतिशत से अधिक प्रश्नपत्रों के अंक उपलब्ध है, तदनुरूप आनुपातिक अंक प्रदान करते हुये परिणाम घोषित किए जावें। यह व्यवस्था निम्नानुसार गठित समिति के मार्गदर्शन में लागू की जाएगी –

1. डॉ. एल.पी.पटैरिया – **अध्यक्ष**
   सम्मानीय विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के सदस्य
2. डॉ. मनीष श्रीवास्तव – सदस्य
   सम्मानीय विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के सदस्य
3. डॉ. एस एल कोका – सदस्य
   समन्वयक, परीक्षा एवं गोपनीय विभाग

विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में कृपांक 3 के स्थान पर 5 किये जाने की अनुशंसा की जाती है। यह सुविधा निर्णय की अधिसूचना जारी होने के बाद की तिथि में घोषित होने वाले परिणामों में लागू होगी। यह कृपांक अधिकतम 2 विषयों/प्रश्नपत्रों पर विस्तारित होगा।

<u>पूरक प्रस्ताव</u>

प्रस्ताव क्रं. 7 डी.एड. द्वितीय वर्ष के छात्राध्यापकों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार।

निर्णय :– विद्या परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर परीक्षा केन्द्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैरागढ़, जिला राजनांदगावं, डाइट कबीरधाम एवं पेन्ड्रा की अंग्रेजी विषय की उत्तरपुस्तिकाओं

का पुर्नविलोकन (Review) विषय–विशेषज्ञ से करा लिया जाए एवं प्राप्त रिपोर्ट को परीक्षा परिणाम समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत कर निर्णय लिया जावे।

प्रस्ताव क्रं. 8 बी.एड द्वितीय वर्ष के छात्राध्यापकों से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार।

निर्णय :– विद्या परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर परीक्षा केन्द्र पीजीबीटी बिलासपुर एवम् कल्याण शिक्षा महाविद्यालय भिलाई की पेपर कोड 363 एवं पेपर कोड 344 विषय की उत्तरपुस्तिकाओं का पुर्नविलोकन (Review) विषय–विशेषज्ञ से करा लिया जाए एवं प्राप्त रिपोर्ट को परीक्षा परिणाम समिति के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत कर निर्णय लिया जावे।

(डॉ. बी.पी.साहू)
कुलसचिव / सचिव

(डॉ. ए. आर. चन्द्राकर)
कुलपति / अध्यक्ष

क्रमांक 1521 / बैठक सेल / 2012 दिनांक 26 / 09 / 2012

प्रतिलिपि –

1. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।
2. सम्मानीय सदस्यगण –

2.1 प्रो. विभा जोशी, निदेशक, स्कूल ऑफ एजुकेशन, इंदिरा गांधी राष्टीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली।

2.2 प्रो. एस के जाधव, विभागाध्यक्ष, बायोटेक्नालाजी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

2.3 डॉ. मनीष श्रीवास्तव, सह–प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (अंग्रेजी विभाग), गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर।

2.4 डॉ. उमेश कुमार श्रीवास्तव, (गणित विभाग) शास. स्वशासी कन्या महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

2.5 डॉ. सुरेश शुक्ला, (इतिहास विभाग) शास. जमुना प्रसाद वर्मा स्नातकोत्तर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)

2.6 डॉ. टी.एल. वर्मा, विभागाध्यक्ष, शास. छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)।

2.7 डॉ. अमित खासकलम, व्याख्याता एवं विभागाध्यक्ष, (सूचना प्रौद्योगिकी) गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर (छ.ग.)।

2.8 श्री रमेश नैयर, संचालक, छ.ग.राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रायपुर (छ.ग.)।

2.9 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.) की ओर कार्यवृत्त आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।

3. निज सचिव / निज सहायक, कुलपति / कुलसचिव को कुलपति / कुलसचिव के सूचनार्थ।
4. संबंधित विभागों अकादमी विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव